

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-674/2020
चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत कर्मचारी का वैकल्पिक पद पर समाहरण हेतु नामित Standing Committee की

अनुसंशा पर अमरेप-। महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त सकाधि-।।।/सोनपुर के टिप्पणी सं०-ECR/SEEO PERS(COF)/1/2020 दिनांक-04.09.2020 के आलोक में निम्नलिखित को चिकित्सा विकोटिकृत कर्मचारी को उनके नाम के सामने अंकित समाहरण पर वैकल्पिक पद आदेशपाल इंजीनियरिंग विभाग में समान वेतनमान एवं वेतन पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यरत स्टेशन	पे लेवल/ बेसिक पे	विकोटिकृत होने की तिथि एवं विकोटिकृत पश्चात् चिकित्सा श्रेणी	Standing Committee द्वारा अनुसंशित पद
01	श्री देव शरण महतो, TM-III/Engg./SEE	Level-02 Basic Pay- 26800/-	29.02.2020 Fit in Medical Category C-2(Cey two) with glass	Peon GP-1800, Level-01 Engineering Department Under DRM(Engg.)/SEE

एक कर्मचारी मात्र।

नोट:-

- पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् सृजित विशेष अधिसंख्य पद के समाप्त होने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित किये गये नये पद एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाता है तो सारी जिम्मेवारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।
- पदस्थापना आदेश जारी होने की तिथि से सृजित विशेष अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जायेगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जाएगा और अनुपस्थित अवधि को उनके अवकाश खाते में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियमन किया जायेगा।
- साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समाहरण/पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद उसी तिथि को संबंधित स्थापना लिपिक का जिम्मेवारी बनता है कि उपर्युक्त पूर्व पर्यवेक्षक जिसके अधीन सृजित विशेष अधिसंख्य पद पर कार्य कर रहे हैं, को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि मैसेज मिलते ही उसी समय संबंधित विकोटिकृत कर्मचारी को सृजित विशेष अधिसंख्य पद के कार्यमुक्त करते हुए नये समाहरित/पदस्थापित पद पर योगदान दिये जाने हेतु विरमित किया जाए अन्यथा उपर्युक्त नोट (01) का अनुपालन नहीं किया जाना माना जाएगा। इसका अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोन० का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-।।


कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर

दिनांक-09.12.2020

सं०-का/256/5/इंजी०/जी-259/सोन/16

प्रतिलिपित-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय)/सोनपुर। 02. वमविप्र/सोनपुर।
02. समई/लाईन/सोनपुर-कृपया उपरोक्त कर्मचारी को उचित पहचान के साथ मंरेप्र(इंजी०)/सोनपुर कार्यालय को विरमित करना सुनिश्चित करें।
03. वसेई/पथ/सोनपुर-संबंधित कर्मचारी का सेवा पुस्तिका एवं फोल्डर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
04. संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय आदेश प्रति।
05. एमपीपी/सेल/सोनपुर।
06. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो० एवं ओबीसी एशो० सोनपुर।


कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर